

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर, 11, 2013/आश्विन 19, 1935

No. 514]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2013/ASVINA 19, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 4 अक्टूबर, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2013

सा. का. नि. 681(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

2. अनुसूची में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 5 में,

(ए) पैराग्राफ 1 में, खंड (जे) के बाद तथा परंतुक से पहले, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:

"(के) ऋण वर्धक बांड (credit enhancement bonds)।"

(बी) पैराग्राफ 1ए में, खंड () में, उप खंड (जी) के बाद, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थातः

"(एच) ऋण वर्धक बांड (credit enhancement bonds)।"

(सी) पैराग्राफ 1बी में, खंड () में, उप खंड (आई) के बाद, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थातः

"(जे) ऋण वर्धक बांड (credit enhancement bonds)।"

[सं.फेमा.289/2013-आरबी]

सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पण : प्रमुख नियमन शासकीय राजपत्र द्वारा सा. का. नि. संख्या. 406(अ) दिनांक 8 मई 2000 भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया:—

सा. का. नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा. का. नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा. का. नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा. का. नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा. का. नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा. का. नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा. का. नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा. का. नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा. का. नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा. का. नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा. का. नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
सा. का. नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा. का. नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा. का. नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा. का. नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा. का. नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा. का. नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा. का. नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा. का. नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा. का. नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा. का. नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा. का. नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा. का. नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा. का. नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा. का. नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा. का. नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा. का. नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा. का. नि. सं. 532 (अ) दिनांक 05.08.2013
सा. का. नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा. का. नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा. का. नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा. का. नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा. का. नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा. का. नि. सं. 393 (अ) दिनांक 21.06.2013
सा. का. नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005	सा. का. नि. सं. 591 (अ) दिनांक 04.09.2013
सा. का. नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006	सा. का. नि. सं. 596 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006	सा. का. नि. सं. 597 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007	

**RESERVE BANK OF INDIA
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th October, 2013

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)
(Thirteenth Amendment) Regulations, 2013**

G.S.R. 681 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a

Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement: —

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Schedule :

In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated May 3, 2000), in Schedule 5,

(A) in paragraph 1, after clause (j) and before proviso, the following shall be inserted, namely:

“(k) credit enhanced bonds.”

(B) in paragraph 1A, in clause (v), after sub-clause (g), the following shall be inserted, namely:

“(h) credit enhanced bonds.”

(C) in paragraph 1B, in clause (iii), after sub-clause (i), the following shall be inserted, namely:

“(j) credit enhanced bonds.”

[No. FEMA. 289/2013-RB]

C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007

G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
 G.S.R.No.821 (E) dated 10.11.2012
 G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
 G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
 G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
 G.S.R. No. 945(E) dated 31.12.2012
 G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
 G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
 G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
 G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
 G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
 G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
 G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
 G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013
 G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
 G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
 G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013